

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 85 / 2022

प्रार्थी का नाम : अप्रार्थीगण
 सिद्धार्थ सिंघवी वगैरा
 कानाराम
 किस्म मुकदमा-राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर्टीएक्ट
 दुल्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
 लोड दुल्म

व	नंबर तारीख अहकाम इस दुल्म की तारीख जारी हुए
---	---

09.2022 पत्रावली आज शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र से पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता स्थान हेतु निवेदन किया गया जिस पर अधिवक्ता प्रार्थी को स्थान प्रार्थना पत्र पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पुलिस थाना लूणी के एफआर नंबर 272/2022 दिनांक 07.09.2022 में भी विवादग्रस्त कृषि भूमि के समूह में फर्जीवाड़े की दर्ज हुई है। अतः प्रार्थी की प्रार्थना उचित प्रतीत होने से प्रार्थी के हक हिस्से तक अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित समझते हैं। ग्राम हीरखेडा तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 94 रकबा 11.1127 हेक्टर में प्रार्थी के हक हिस्से तक आगामी तारीख पेसी तक हि यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते हैं। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 21.09.2022 को पेश हो।

6/9/22
 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
 लूणी

पत्रावली पेश हुई। पीबलोन अधिकारी अवकाश पर / दौर पर है। दीगर कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 21.09.2022 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। पीबलोन अधिकारी अवकाश पर / दौर पर है। दीगर कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 21.09.2022 को पेश हो।

21/9
 पत्रावली आज शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र से पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता स्थान हेतु निवेदन किया गया जिस पर अधिवक्ता प्रार्थी को स्थान प्रार्थना पत्र पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पुलिस थाना लूणी के एफआर नंबर 272/2022 दिनांक 07.09.2022 में भी विवादग्रस्त कृषि भूमि के समूह में फर्जीवाड़े की दर्ज हुई है। अतः प्रार्थी की प्रार्थना उचित प्रतीत होने से प्रार्थी के हक हिस्से तक अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित समझते हैं। ग्राम हीरखेडा तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 94 रकबा 11.1127 हेक्टर में प्रार्थी के हक हिस्से तक आगामी तारीख पेसी तक हि यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते हैं। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 21.09.2022 को पेश हो।